प्रेस नोट
थाना सीपरी बाजार, झाँसी

दिनांक- 04.07.2026

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वाँछित 02 शातिर अन्तर्राज्यीय अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।
- कब्जे से कॉस्मैटिक दुकान से चोरी गया माल सहित अवैध तमंचा, कारतूस-खोखा एवं 3,930/- रुपये नगद बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन ,कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 04.07.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 306/2026 धारा 305 (A)/324(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्तगण 1. बृजेन्द्र रावत पुत्र बाबूलाल रावत निवासी ग्राम करई थाना करेरा जिला शिवपुरी म0प्र0 उम्र 28 वर्ष, 2. विरेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू कुशवाहा निवासी ग्राम करई थाना करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0 उम्र करीब 40 वर्ष को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत सिमरधा गाँव के प्रतीक्षालय के पास से पुलिस मुठभेड़ के उपरांत समय रात्रि 03:45 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 पैक पियर्स साबुन ,18 स्प्रे अलग अलग प्रकार के, 02 पेन्टीन शैम्पू , 03 डव शैम्पू डव व 01 बड़ा डिब्बा स्प्रे बरामद होना एवं 02 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस नाल मे फंसा हुआ 315 बोर एवं 3,930/- नगद रुपये बरामद किया गया।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार में मु0अ0सं0 307/2026 धारा-109(1)/317(2)/331(4) BNS व धारा 3/25/28 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.07.2026 वादी श्री आकाश राय पुत्र श्री संतोष राय निवासी म0नं0-274 चित्रा चौराहा सेन्ट्रल होटल के पीछे सिविल लाइन थाना सीपरी बाजार झाँसी द्वारा थाना सीपरी बाजार पर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि अज्ञात चोर द्वारा दुकानों से नगदी व कॉस्मेटिक की सामाग्री चोरी कर ली गई है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 306/2026 धारा 305(A)/324(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा शिवानी तिराहा पर संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मिशन कम्पाउण्ड घर के अन्दर से चोरी हुई थी उसी चोरी को करने वाले दोनों व्यक्ति सिमरधा गाँव के प्रतीक्षालय के पास खड़े हैं। सूचना पर थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान की ओर दबिश दी गई तो अभि0 बृजेन्द्र रावत द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने

की नियत से फायर किया गया तब पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेर कर दोनों अभियुक्तगण बृजेन्द्र रावत व विरेन्द्र सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी के अभियोग से संबंधित 01 पैक पियर्स साबुन ,18 स्प्रे अलग अलग प्रकार के, 02 पेन्टीन शैम्पू , 03 डव शैम्पू डव व 01 बड़ा डिब्बा स्प्रे बरामद होना एवं 02 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस नाल मे फंसा हुआ 315 बोर एवं 3,930/- नगद रुपये बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. बृजेन्द्र रावत पुत्र बाबूलाल रावत निवासी ग्राम करई थाना करेरा जिला शिवपुरी म0प्र0 उम्र 28 वर्ष,
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू कुशवाहा निवासी ग्राम करई थाना करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0 उम्र करीब 40 वर्ष.

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 306/2026 धारा 305(A)/324(2) बी0एन0एस0,
2. मु0अ0सं0 307/2026 धारा- 109(1)/317(2)/331(4) BNS व धारा 3/25/28 आर्म्स एक्ट.
3. मु0अ0सं0 95/26 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रक्सा, झाँसी ।
4. मु0अ0सं0 114/26 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रक्सा, झांसी ।

बरामदगी का विवरण –

01. 01 पैक पियर्स साबुन
02. 18 स्प्रे अलग अलग प्रकार के
03. 02 पेन्टीन शैम्पू ,
04. 03 डव शैम्पू डव
05. 01 बड़ा डिब्बा स्प्रे बरामद होना
06. 02 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस नाल मे फंसा हुआ 315 बोर
07. 3,930/- नगद रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्रभारी निरीक्षक सीपरी बाजार मय पुलिस टीम